भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 954
08 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

मलिन बस्ती में रहने वालों को भूमि अधिकार अंतरण

954. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ राज्यों में मलिन बस्तियों में रहने वालों को भूमि अधिकार अंतरण की नीति की सफलता को देखते हुए इसकी व्यवहार्यता का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मलिन बस्तियों में रहने वालों को भूमि अधिकार अंतरण हेतु राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मलिन बस्ती निवासियों की आवास स्थितियों में सुधार करने के लिए स्वस्थानिक मलिन बस्ती पुनर्वास (आईएसएसआर) के अलावा किन्हीं अतिरिक्त उपायों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) से (घ) : 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में आवास और स्लम पुनर्वास से संबंधित सभी योजनाएं स्लमवासियों को भूमि अधिकार हस्तांतरित करके या अन्य प्रकार से कार्यान्वित की जाती हैं और इस मंत्रालय द्वारा इससे संबंधित डेटा का रख-रखाव नहीं किया जाता है। हालाँकि, भारत सरकार स्लमवासियों सहित देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करने में सहायता प्रदान कर रही है। पात्र लाभार्थी उपलब्ध चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास

(आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से पीएमएवाई-यू का लाभ उठा सकते हैं। योजना का आईएसएसआर घटक विशेष रूप से भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए स्लम पुनर्विकास से संबंधित है। इस घटक के तहत प्रति आवास 1 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

29.01.2024 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा कुल 118.63 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 114.01 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 80.02 लाख आवास स्लम बस्तियों सहित शहरी क्षेत्रों में पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना, सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए, योजना के सीएलएसएस घटक को छोड़कर, योजना को 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है। योजना के इस चरण में कोई अतिरिक्त उपायों को शामिल करने के लिए मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****